प्रार्थना पत्र रेफरेन्स/एल.आर./562/2023/पाली
सरकार बनाम नेमीचंद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित :
(1) श्री करण सिंह गुर्जर, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी।
(2) श्री ईश्वर देवड़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी।

निर्णय दिनांक :– 31.05.2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वास्ते मण्डल द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 01–04–2019 को निरस्त कर प्रकरण को पुनः नंबर पर लेने बाबत् प्रस्तुत किया गया है।

2– योग्य अधिवक्तागण की बहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी।

3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 01–04–2019 को रेफरेन्स निर्णित किया जिसमें अप्रार्थी सं0 3 रामपाल को सुनवाई का अवसर नहीं मिला तथा प्रार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया। माननीय न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया। प्रार्थी का पता भी सही नहीं है। प्रार्थी को जानकारी होते ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रेफरेन्स को पुनः नंबर पर लिया जावें एवं मण्डल द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 01–04–2019 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावें। प्रार्थी विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार हैं। माननीय न्यायालय चाहे तो कोस्ट लगा देवें। पूर्व में भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 के साथ रू0 500/– जमा करवाये जा चुके हैं।

4– प्रत्युत्तर में योग्य उप राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि दिनांक 12–02–2008 को प्रस्तुत रेफरेन्स में साधारण नोटिस जारी हुए, बाद में रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये जिसकी ए.डी. प्राप्त नहीं। उसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही मानते हुए निर्णय पारित किया है, जो उचित एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5– हमने योग्य अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का आद्योपान्त अध्ययन व अवलोकन किया गया। 6– अप्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ध्धरा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में पेशी दिनांक 06–04–2023 को माननीय न्यायालय की एकलपीठ सदस्य श्री राकेश कुमार शर्मा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी व तत्समय ही 500/– रू0 कोस्ट पर प्रार्थना पत्र 41 नियम 21 सपठित धारा 151 जा0दी0 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण को पुनः नंबर पर लेने का आदेश दिया व कॉस्ट की राशि 500/– रू0 राजस्व बार में जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये जिसकी पालना में दिनांक 7–4–2023 से 9–4–2023 तक राजकीय अवकाश होने के कारण अप्रार्थी द्वारा कॉस्ट की राशि दिनांक 10–04–2023 को जमा कराकर पत्रावली में लगाये जाने हेतु संबंधित रीडर से निवेदन किया किन्तु प्रकरण में पत्रावली में सहवन से सील लगा दी गई। 7– अतः न्यायहित में अप्रार्थी सं0 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 जा0दी0 **स्वीकार** कर मण्डल के पूर्व निर्णय दिनांक 01–04–2019 को निरस्त किया जाकर रेफरेन्स सं0 1464/2008/पाली, बउनवान सरकार बनाम चौथा को पुनः नंबर पर लिया जाता है। 8– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुरेन्द्र माहेश्वरी) सदस्य	